



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/समन्वय/परीक्षा/2024

दिनांक: 06.02.2024

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की कार्यमुक्ति/कार्यभार से मुक्त करना

प्रिय प्रधानाचार्य,

आप जानते हैं कि सीबीएसई 15.02.2024 से 02.04 2024 तक बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। इस वर्ष, मूल्यांकन शुरू होने से पहले, यह आवश्यक महसूस किया गया है कि मूल्यांकन में शामिल सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाया जाए ताकि शून्य त्रुटि मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

कक्षा X के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता के लिए एक पीजीटी/टीजीटी (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में शिक्षण/योग्यता/अर्हता वाले) और एक पीजीटी/टीजीटी (भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में शिक्षण/अर्हता वाले) को एएचई (मूल्यांकनकर्ता) के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय हेतु मूल्यांकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य विषयों (अधिकतम 80_70 आदि वाले) में 20 प्रति दिन और शेष विषयों में 25 (कम अधिकतम अंक वाले) निर्धारित की गई है। हालांकि, शून्य त्रुटि मूल्यांकन, केवल मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ताओं की समर्पण, ईमानदारी और उपलब्धता के साथ सुनिश्चित किया जा सकता है।

इसके अलावा, मूल्यांकन कर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए न केवल मूल्यांकन में शामिल प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, बल्कि कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, इसके अलावा अंतिम मिनट के अपडेट के लिए, लघु वीडियो भी प्रदान किए जाएंगे।

मूल्यांकन रविवार के अलावा सुबह 9.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक लगभग 10-12 दिनों के लिए किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित 20/25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता द्वारा किया जाना है। 20/25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 8 घंटे की अवधि में किया जाना है। मूल्यांकन कर्ता पूरे 08 घंटे समर्पित करेंगे और समापन समय से पहले स्पॉट मूल्यांकन केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



तदनुसार, सभी स्कूलों (प्रधानाचार्य और प्रबंधन) को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को रिलीविंग प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक -1) जारी कर अपने शिक्षकों को तुरंत कार्य मुक्त करने की व्यवस्था करें। प्रधानाचार्य अपने शिक्षकों को जिम्मेदारी की पूरी भावना के साथ मुक्त करेंगे कि शिक्षक पूरी तरह से योग्य है और बोर्ड के मानदंडों के अनुसार उसे सौंपे गए विषय के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह, मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को मुक्त करना प्रिंसिपल/प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। जैसे ही मूल्यांकन समाप्त हो जाता है, मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) भी शिक्षकों को राहत प्रमाण पत्र जारी करेगा (अनुलग्नक-II)

उपर्युक्त निर्देशों का प्रधानाचार्य और प्रबंधन द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और निर्देशों से किसी भी विचलन को मूल्यांकन प्रक्रिया को बाधित करने और बोर्ड द्वारा गंभीर दंडात्मक कार्रवाई के योग्य माना जाएगा।

भवदीया,
हस्ता/-
(निधि छिब्बर)



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



स्कूल लेटर हेड/स्कूल पत्र शीर्ष

अनुबंध-1

कार्यमुक्त/कार्यभार मुक्त/रिलीविंग प्रमाण- पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री-----

ओएसिस नंबर-----से स्कूल में काम कर रहा है -----

उसके पास निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य अनुभव है.:-

पदनाम	विषय / माध्यम	कुल अनुभव वर्षों में
टीजीटी		
पीजीटी		

स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी योग्यता -----है। उसे दिनांक----- मूल्यांकन असाइनमेंट के लिए आवंटित मूल्यांकन केंद्र के मुख्य नोडल पर्यवेक्षक(सीएनएस) को दिनांक----- को रिपोर्ट करने के लिए रिलीव किया गया है। वह मूल्यांकन के लिए पूर्णकालिक काम करेगी ।

उपर्युक्त विवरण स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं। स्कूल फोटो पहचान पत्र की एक सत्यापित प्रति इसके साथ संलग्न है।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर.....

नाम:

मुहर:

दिनांक:

स्थान:



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



अनुबंध-II

कार्यभार मुक्त/रिलीविंग प्रमाण-पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री ----- इस-----
में कार्यरत हैं और उन्हें दिनांक-----को स्कूल में दिनांक-----
-----को रिपोर्ट करने के दिशा-निर्देशों के साथ कार्यभार
मुक्त/रिलीव किया जाता है।

हस्ताक्षर:.....

सीएनएस का नाम:

मुहर:

दिनांक:

स्थान: